भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या *256**

जिसका उत्तर मंगलवार, 17 मार्च, 2026/26 फाल्गुन, 1947 (शक) को दिया गया

**प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज**

*256. # श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकियाः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में वर्तमान स्वास्थ्य बीमा आवरण (कवरेज) विश्व के प्रमुख देशों की तुलना में बहुत कम है;

(ख) क्या जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, स्वास्थ्य बीमा आवरण से वंचित है;

(ग) क्या सरकार ने पिछले दशक के दौरान देश में स्वास्थ्य बीमा आवरण को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं जिसके परिणामस्वरूप इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और

(घ) क्या सरकार "सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा" नीति के अंतर्गत देश की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा आवरण प्रदान करने के लिए किसी कार्य योजना पर काम कर रही है?

**उत्तर**

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

**'प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया द्वारा पूछे गए 17 मार्च, 2026 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *256 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क): भारत में, जैसा कि भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा सूचित किया गया है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, 251.85 लाख व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां हैं, जिनमें परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, इसमें 6.01 करोड़ लोग कवर हैं। इसके अलावा, 13.05 लाख समूह स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां हैं जिसमें 27.51 करोड़ सदस्यों को कवर किया गया है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में लागू किया गया है। यह योजना 12 करोड़ परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है, जो भारत की आबादी के निचले हिस्से का 40 प्रतिशत है। मार्च 2024 में, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) के अतिरिक्त लगभग 37 लाख परिवारों को इस योजना में शामिल किया गया था। अक्टूबर 2024 में, इस योजना का विस्तार करके 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के निरपेक्ष कवर करने के लिए किया गया। दिनांक 28.02.2026 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 43.52 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में 3.84 करोड़ बीमित व्यक्तियों और 14.91 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया गया है। साथ ही, 20.35 लाख सेवारत लाभार्थियों और 23.32 लाख पेंशनभोगी लाभार्थियों को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के अंतर्गत कवर किया गया है।

(ख) जहां तक स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर की गई ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात का संबंध है, यह बताया जाता है कि आईआरडीएआई समग्र स्तर पर स्वास्थ्य बीमा कवरेज संबंधी आंकड़े संकलित करता है और उसका रखरखाव करता है। स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत कवर की गई ग्रामीण जनसंख्या की सही संख्या अथवा प्रतिशत का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा की पैठ सुनिश्चित करने की दृष्टि से आईआरडीएआई ने दिनांक 20.3.2024 के भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (ग्रामीण, सामाजिक क्षेत्र और मोटर थर्ड पार्टी दायित्व) विनियम, 2024 को अधिसूचित किया है, जिनका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर बीमा समावेशन को सक्षम करना है ताकि दूरदराज के क्षेत्रों को कवर किया जाना भी सुनिश्चित किया जा सके। इन सांविधिक दायित्वों के अनुपालन और माप को संशोधित किया गया है, जहां ग्रामीण दायित्वों के तहत माप की इकाई अब ग्राम पंचायत होगी, विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत कार्डधारकों और लाभार्थियों को कवर करने के लिए सामाजिक क्षेत्र का दायरा बढ़ा दिया गया है। संशोधित दायित्वों से वंचित समुदायों को महत्वपूर्ण बीमा उत्पादों तक पहुंच प्राप्त करने, कमजोरियों को दूर करने और आर्थिक स्थिरता को सपोर्ट किये जाने में मदद मिल रही है।

(ग) और (घ): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) 23 सितंबर 2018 को आरंभ की गई थी। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं: -

- यह भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने वाले अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है।
- इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले 3 दिन तक और अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक के खर्च जैसे नैदानिकी और दवाएं शामिल हैं।
- 27 चिकित्सा विशिष्टताओं में 1961 प्रक्रियाओं के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है।
- परिवार के आकार, उम्र या लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- पहले से मौजूद सभी स्वास्थ्य स्थितियों को पहले दिन से कवर किया जाता है।
- इस योजना के लाभ पूरे देश में पोर्टेबल हैं, अर्थात, एक लाभार्थी कैशलेस उपचार का लाभ उठाने के लिए किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक या निजी अस्पताल में जा सकता है।

इसके अलावा, आईआरडीएआई ने पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा विनियमों और उसके अंतर्गत जारी परिपत्रों की समीक्षा की और तदनन्तर, आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 और दिनांक 29.05.2024 के स्वास्थ्य बीमा कारोबार संबंधी मानक परिपत्र, अधिसूचित किया। संशोधित ढांचे में देश में स्वास्थ्य बीमा कवरेज के व्यापक प्रसार के उद्देश्य से कई प्रावधान विनिर्दिष्ट किए गए हैं, जिसमें ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों सहित आबादी के सभी वर्गों के लिए उत्पादों को किफायती और सुलभ बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। कुछ प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

(क) आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024 का 4(ज) यह विनिर्दिष्ट करता है कि बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी प्रीमियम दरें उचित हैं और ये दरें अत्यधिक, अपर्याप्त, अनुचित रूप से भेदभावपूर्ण नहीं हैं और ये वैल्यू फॉर मनी प्रदान करती हैं;

(ख) आईआरडीएआई (बीमा उत्पाद) विनियम, 2024-स्वास्थ्य बीमा संबंधी मानक परिपत्र के अध्याय-I के बिंदु संख्या 1 (क) के अनुसार, सभी आयु, क्षेत्रों, व्यावसायिक श्रेणियों, चिकित्सा स्थितियों/उपचारों, सभी प्रकार के अस्पतालों और स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल प्रदाताओं को सेवा प्रदान करने वाले विविध बीमा उत्पादों की पेशकश करके बीमाकर्ताओं द्वारा व्यापक विकल्प प्रदान किए जाएंगे जो पॉलिसीधारकों/संभावितों और ग्राहक की वहनीयता के अनुरूप होंगे ताकि उसके/उसकी चिकित्सा स्थितियों/विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार वे अपना उत्पाद/ऐड-ऑन/राइडर्स चुन सकें। अध्याय-I के बिंदु संख्या 1 (क) (vii) के अनुसार, बीमाकर्ता आबादी के विभिन्न वर्गों की वहनीयता को ध्यान में रखते हुए सभी श्रेणियों के अस्पतालों/स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सूचीबद्ध करेंगे।

*****